"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मार्च, 2012 के तीसवें दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 30 मार्च, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 30th March 2012

NOTIFICATION

No. F 13-8/2012/R.C./1-3.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012 (No. 9 of 2012), the State Government, hereby, appoints the Thirtieth day of March, 2012 as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.